समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला शस्त्र शाखा)
-: आदेश :-

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में सूचना समर्पित करने हेतु दिनांक 04.10.2013 एवं 05.10.2013 की तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी किया गया था। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई। उसके वावजूद भी **श्री परमानन्द सिंह पे0 श्री स्व0 नत्थन प्र0 सिंह, सा0 फुलौत पो0 फुलौत थाना चौसा, जिला मधेपुरा** द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा में सूचना अंकित कर नहीं समर्पित नहीं करने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 276/श0, दिनांक 12.12.2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1963 के नियम-63 एवं अनुज्ञप्ति शर्त्त -9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत **एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-02/1997** (चौसा थाना) को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त स्पष्टीकरण का जवाव अबतक समर्पित नहीं किया है और न ही अपना कोई पक्ष रखा है। साथ ही लोक सभा आम चुनाव-2014 के अवसर पर पुनः शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु दिनांक 14.03.2014 एवं 15.03.2014 की तिथि निर्धारित किया गया। अंचल अधिकारी, चौसा एवं थानाध्यक्ष, चौसा के पत्रांक 118 दिनांक 19.03.2014 से प्राप्त संयुक्त प्रतिवेदन में भी इनका नाम अंकित नहीं है। बार-बार मौका दिए जाने के वावजूद भी शस्त्र अनुज्ञप्ति का भौतिक सत्यापन **नहीं** करवाया गया है, जो मनमानेपन का द्योतक है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्तिधारी अपना पक्ष रखने के प्रति उदासीन हैं। संचिका अवलोकन से ज्ञात होता है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति वर्ष 2006 तक नवीकृत एवं शस्त्र क्रय कर प्रस्तुत करने की अवधि 31.10.2006 निर्धारित की गई थी। इन्होंने वर्ष 2006 के बाद अद्यतन समय तक(07 वर्ष तक) नवीकरण एवं शस्त्र क्रय के लिए अवधि विस्तार हेतु आवेदन पत्र समर्पित नहीं किया है और न ही कोई प्रयास किया है। इससे साफ पता चलता है कि अभी भी अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र विहिन हैं एवं अब इन्हें शस्त्र की आवश्यकता नहीं रह गई है। यह अनुज्ञप्ति प्राधिकार के आदेश की अवहेलना के साथ-साथ मनमानेपन एवं अनुज्ञप्ति शर्त्त का उल्लंघन है।

अतएव शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17 एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए **श्री परमानन्द सिंह पे0 स्व0 नत्थन प्रसाद सिंह, सा0 फुलौत पो0 फुलौत थाना चौसा**, जिला मधेपुरा के नाम से निर्गत एन. पी.बोर रायफल **अनुज्ञप्ति सं0-02/1997**(चौसा थाना) को तत्कालिक प्रभाव से "रद्द" किया जाता है एवं शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-21 के तहत आदेश दिया जाता है कि वे अपना मूल अनुज्ञप्ति पुस्त पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में "रद्द" प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 193 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 9-4-14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ थानाध्यक्ष, चौसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री परमानन्द सिंह पे0 स्व0 नत्थन प्रसाद सिंह, सा0 फुलौत पो0 फुलौत थाना चौसा जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

09/04/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।